बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 08.09.2025
थाना भुता

थाना भुता, बरेली पुलिस द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 से संबंधित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 25.08.2025 को वादिनी मुकदमा अखिलेश कुमारी पत्नी स्व0 अरविन्द उपाध्याय निवासी इन्द्रपुरी क्वार्सी थाना महुआ खेड़ा अलीगढ द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण 1. अब्दुल मजीद पुत्र नामालूम निवासी ग्राम फैजनगर थाना भुता जिला बरेली 2.महमूद बेग पुत्र नामालूम 3.सलमान पुत्र नामालूम 4. आरिफ पुत्र नामालूम निवासीगण बरेली (जाति मुस्लिम) व एक अज्ञात द्वारा वादिनी के पुत्र प्रभात पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार उपाध्याय निवासी इन्द्रपुरी क्वार्सी थाना महुआ खेड़ा अलीगढ़ को शादी करने का प्रलोभन देकर जबरन मदरसे में रोककर धर्मान्तरण करना तथा वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी थी। वादिनी मुकदमा अखिलेश कुमारी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना भुता पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में चार अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त मो0 फईम पुत्र मो0 सलीम निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली का नाम विवेचना में प्रकाश में आया।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त महमूद वेग पुत्र मुबारक बेग निवासी ग्राम रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को गन्ना उत्पादक स्नाकोत्तर कॉलेज कस्बा बहेड़ी बरेली से दिनांक 07.09.2025 समय को गिरफ्तार किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार मय निरीक्षक अपराध श्री योगेन्द्र सिंह व उ0नि0 श्री खेमपाल सिंह मय हमराही हे0का0 शीशपाल मय सरकारी वाहन प्रथम मय चालक का0 सोनू कुमार तथा हे0का0 शशी कुमार (एसओजी) व हे0का0 विपिन कुमार (सर्विलांस सेल) के द्वारा दिनांक 07.09.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त महमूद वेग पुत्र मुबारक बेग निवासी ग्राम रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर को गन्ना उत्पादक स्नाकोत्तर कॉलेज कस्बा बहेड़ी बरेली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 377/2025 धारा 140(3)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. महमूद वेग पुत्र मुबारक बेग निवासी ग्राम रहपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली।

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना भुता बरेली।
2. निरी0 अप0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना भुता बरेली।
3. उ0नि0 श्री खेमपाल सिंह थाना भुता बरेली।
4. हे0का0 शशी कुमार (एसओजी)
5. हे0का0 विपिन कुमार (सर्विलांस सेल)
6. हे0का0 शीशपाल थाना भुता बरेली।
7. का0 सोनू कुमार थाना भुता बरेली।